उद्योग संचालनालय,

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग,

(वेण्डर विकास कक्ष)

कमांक : उआ/व्हीडीपी/2017–18/141 भोपाल, दिनांक 15/01/2018

वेण्डर विकास तथा मार्केटिंग सपोर्ट योजना हेतु दिशा–निर्देश

बिजनेस फेसिलिटेशन सेन्टर उद्योग संचालनालय के अन्तर्गत कार्य कर रहा है तथा इसके अर्न्तगत विभिन्न जिलों में मैदानी अमला भी पदस्थ है । इस सेन्टर में प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट एजेन्सी के रूप में मेसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग के सलाहकार विभिन्न स्तर पर कार्यरत हैं । एम.बी.एफ.सी. के तहत एम.एस.एम.ई. की मार्केट लिंकेज तथा मार्केटिंग सपोर्ट एक प्रमुख कार्य है और उनके माध्यम से यह कार्य आगामी वर्षों में कराया जाना है ।

शासन के द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से पूर्व में संचालित वेण्डर विकास योजना अब वेण्डर विकास तथा मार्केटिंग सपोर्ट योजना के रूप में वर्ष 2017–18 से 2019–2020 के मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के व्यवसाय वृद्धि हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा संचालनालय में कार्यरत एम.एस.एम.ई. बिजनेस फेसिलिटेशन सेन्टर एवं इससे सम्बन्धित मैदानी अमले के माध्यम से संचालित की जावेगी । इस कार्य की निगरानी हेतु एक कक्ष गठित किया गया है जिसके नोडल अधिकारी श्री व्ही.सी. दुबे, महाप्रबंधक हैं । इस कार्य हेतु निम्न दिशा–निर्देश एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं :–

1. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से संचालित पूर्व योजना के अन्तर्गत विकसित किए गए वेण्डर विकास पोर्टल www.mpvdp.in को यथाशीघ्र विभाग के चतुर्थ स्तरीय बेवसाइट के रूप में संचालनालय में कार्यरत मेप आई.टी. के सलाहकार की सहायता से विकसित कर इसमें आवश्कतानुसार सुविधाओं का समावेश किया जावेगा ।

2. एम.बी.एफ.सी. के अन्तर्गत कार्यरत मैदानी अमले की सहायता से कार्यक्रम में 1500 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को सम्मिलित किया जाना । इस हेतु जिले अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। (प्रपत्र. अ)

3. योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में सेक्टर के अनुसार वेण्डर विकास कार्यक्रम आयोजित किए जावेंगे । इसके अन्तर्गत विशेष रूप से फुड, आटोमोबाईल, हैवी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल तथा भारत शासन के उपक्रम को सेक्टर के रूप में केन्द्र में रखा जावेगा । इसके अन्तर्गत प्रदर्शनी/कार्यशालाओं का आयोजन होगा । इस हेतु पी.एम.ए. द्वारा पूर्ण सहायता प्रदान करते हुए कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु कार्यवाही करेगी । इसके अन्तर्गत निम्न कार्य होंगे :–

- प्रदर्शनी/कार्यशाला हेतु स्थान का चयन ।
- प्रदर्शनी हेतु वेण्डर इकाइयों तथा वृहद इकाइयों का चयन ।
- कार्यक्रम हेतु तकनीकी सत्रों का आयोजन तथा विषय का चयन ।

4. योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सक्षम इकाइयों को देश में तथा विदेश में होने वाले

मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जावेंगे ।

5. प्रदेश के बाहर की एंकर इकाइयों तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न एजेन्सियों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इकाइयों के मध्य समन्वय ।

6. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इकाइयों को पी.एम.ए. द्वारा इस प्रकार मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा कि वे एंकर इकाइयों के अनुसार आवश्यक तकनीकी अपग्रेडेशन कर सकें ।

7. उक्त कार्यों हेतु एम.बी.एफ.सी. में पी.एम.ए. के अधीन एक रिसोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे । ये रिसोर्स वेण्डर विकास तथा मार्केटिंग सपोर्ट के कियान्वयन व संचालन हेतु मदद करेंगे ।

8. परिक्षेत्रीय अधिकारी तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने–अपने कार्यालयों में वेण्डर विकास तथा मार्केटिंग सपोर्ट के कार्य हेतु उचित अधिकारी/कर्मचारी चुनेंगे तथा एम.बी.एफ. सी. टीम तथा वेण्डर विकास एवं मार्केटिंग सपोर्ट कक्ष से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य अनुसार एम. एस.एम.ई. को लाभ दिलवाएंगे ।

9. शासन के द्वारा हाल ही में गठित जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के माध्यम से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस कार्य का व्यापीकरण कर लाभ अन्य विभागों से भी एम.एस.एम.ई. को दिलावाएंगे ।

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक : उआ/व्हीडीपी/2017–18/102 भोपाल, दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश।
2. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल ।
3. उद्योग आयुक्त कार्यालय की समस्त शाखाएं/कक्ष ।
4. परिक्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/उज्जैन/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा ।
5. समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ।
6. आदेश नस्ती ।

(व्ही.सी. डुबे)
महाप्रबंधक,
वेण्डर विकास एवं मार्केटिंग
सपोर्ट कक्ष